

उपनिवेशवाद के तीन-चरण - (200 वर्षों में)

(i) 1757 - 1813 - वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का चरण

- ब्रिटेन की प्राथमिकता - व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना।
- भारत में आर्थिक नीति - भू-राजस्व स्थायी बंदोबस्त।
- व्यापार - भारतीय उत्पादों का निर्यात भारतीय पैसों से खरीदकर।
- उद्योग - कारीगरों पर श्रमदास्य।

(ii) इसरा-चरण - 1813 - 1858 - औद्योगिक उपनिवेशवाद का चरण

- ब्रिटेन की प्राथमिकता - भारत को बाजार एवं कच्चे माल का स्रोत बनाना (प्रथम चरण का उद्देश्य बना हुआ है)।

- आर्थिक नीति - भू-राजस्व - $\left\{ \begin{array}{l} \text{रैंपतवारी} \\ \text{महलवारी} \end{array} \right.$

- व्यापार - कम्पनी का एकाधिकार समाप्त
कच्चे मालों का निर्यात

- वाणिज्यिकरण - बढ़ाना

भारतीय उद्योगों का पतन कैसे?

परिवहन - प्रारम्भिक विकास

3. तृतीय चरण - 1858 - 1947 - ब्रिटीश उपनिवेशवाद का चरण

ब्रिटिश प्राथमिकता - { पूर्ववत - बाजार, कच्चा माल, व्यापार संतुलन।
→ ब्रिटीश निवेश का मुनाफा कम्पो?

आर्थिक नीति - उद्योग निवेश

परिवहन

भू-राजस्व - पूर्ववत

व्यापार - पूर्ववत

बैंक की स्थापना

संचार साधन में निवेश

प्रश्न - 18वीं सदी के मध्य से स्वतंत्रता तक ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें - ?
(सकारात्मक + नकारात्मक)

परीक्षण - के अन्तर्गत सावधानी पूर्वक उस कथन को जांचना होता है उसके संबंध में कारण मा प्रमाण देने होते हैं।

प्रश्न - परीक्षण कीजिए कि ब्रिटिश काल में पारम्परिक कारीगरी उद्योग के पतन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया ?

- प्रारम्भ -
- 18वीं सदी में कारीगरी ।
 - ब्रिटिश काल में विभिन्न कारण से पतन ।
 - सामीप्य क्षयवस्था पर दुष्प्रभाव ।



संवैधानिक विकास

1773-1861 तक
आधिनियम

1892, 1909, 1919, 1935 -
आधिनियम

1773 का रेग्युलेशन एक्ट :-

पृष्ठभूमि :-

- 1773 तक कंपनी भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी और कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों को पुनः परिभाषित किया जाने की आवश्यकता थी।
- कंपनी के कर्मचारी अधिकारी उत्पादि भारत से समृद्ध होकर लौट रहे थे और इसको लेकर समाज में ईर्ष्या का भाव उभर रहा था।
- कुछ ब्रिटिश विचारक कंपनी के बढ़ते अधिकार एवं प्रभाव को नियंत्रित करने की मांग कर रहे थे।
- कंपनी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी एक तरफ कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्ज की मांग की वहीं दूसरी तरफ कंपनी के शेयर होल्डर्स को लाभांश देने की घोषणा की गई, ब्रिटिश समाज में इसकी आलोचना हुई और इसी पृष्ठभूमि में

1773 का अधिनियम पारित हुआ।

1773 के अधिनियम के प्रावधान :-

- कंपनी प्रतिवर्ष ब्रिटिश वित्तमंत्री एवं विदेश मंत्री को भारतीय मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट करेगी।
- भारत में व्यापार एवं निष्ठावृत्ति पर कंपनी का एकाधिकार होगा।
- भारतीय प्रशासन के संचालन के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल एवं चार सदस्यीय परिषद होगा (1773)।
- मह परिषद बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा।
- गवर्नर जनरल परिषद को बाम्बे एवं मद्रास पर कुछ मामलों में भेदीक्षण का अधिकार होगा।
- कंपनी के कर्मचारी एवं आधिकारी उपहार एवं रिश्त नही लेंगे।
- कलकता के लिए उच्चतम न्यायलय के गठन का प्रावधान किया गया।

Note 1:- 1774 में कलकता उच्चतम न्यायलय का गठन किया गया एलिजाबेथ इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।

Note 1:- 1773 के अधिनियम से पूर्व बंगाल का गवर्नर नामक पद था जब इस पद का नाम गवर्नर जनरल हो गया था।

* भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर - वॉरेन हेस्टिंग्स

1773 - 1833 - बंगाल में गवर्नर जनरल

1754 - 1773 - बंगाल में गवर्नर -

- गवर्नर जनरल परिषद को कार्यकारी परिषद भी कहा जाता था - ब्रिटिश संसद के पश्चात् इस परिषद को कानून बनाने का अधिकार था।

1781 का संशोधनात्मक अधिनियम :-

- गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा पारित अधिनियम को कलकत्ता के उच्चतम न्यायलय में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है।
- कलकत्ता के उच्चतम न्यायलय का अधिकार कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों पर होगा तथा निर्णय के दौरान ब्रिटिश कानूनों के साथ-साथ स्थानीय परम्पराओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

1784 का पिट्स शक्तिपाक - (पिट्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री)

पृष्ठभूमि :-

- कंपनी का आर्थिक संकट बना हुआ था और ब्रिटिश समाज में व्यापारियों, उद्योगपतियों, बुद्धजीवियों के द्वारा अधिक कठोर नियंत्रण की मांग की जा रही थी।
- 1717 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नाममात्र का ही नियंत्रण स्थापित हो पायेगा।

• 1785 में अंग्रेजों का सार्वधिक लाभदायक उपनिवेश अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था ब्रिटीश मैसूर युद्ध जारी था और प्रथम मराठा युद्ध में कम्पनी की नुकसान उठाना पड़ा।

प्रावधान :-

- ब्रिटेन में द्वाः सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिसमें चार सदस्य प्रिवी काउंसिल के थे तथा दो सदस्य ब्रिटिश वित्तमंत्री और विदेशमंत्री।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कम्पनी के डायरेक्टर को निर्देश दिए जाने का प्रावधान, इसी निर्देश के अनुसार भारतीय शासन का संचालन किया जाना था।
- गवर्नर जनरल परिषद में एक सदस्य की संख्या कम की गई (1+3) की बजाय और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
- बाग्ये एवं मद्रास को कुछ कटनीति तथा राजस्व के मामले में गवर्नर जनरल परिषद के अधीन किया गया।
- भारत में साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य नहीं है इसकी स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई।